न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक जिलाधीश सूरतगढ़।

पीठासीन अधिकारी :— सीता शर्मा आर.ए.एस

प्रकरण नं. 165/2024 GCMS No. 2024/390 **दायरा दिनांक :— 25.6.24**

1. मिलखराज } पुत्रगण बालीराम अकवाम कम्बोज निवासीयान 3 एफ.डी.एम.
2. राधाकिशन } तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.

— प्रार्थीगण

बनाम

1. पूर्णसिंह पुत्र बालीराम जाति कम्बोज निवासी 3 एफ.डी.एम. हाल आबाद वार्ड नं. 6, दुर्गा माता मंदिर के पास, इन्दिरा सर्किल, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़।
2. बागराम पुत्र बालीराम जाति कम्बोज निवासी 3 एफ.डी.एम. तहसील सूरतगढ़।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व, सूरतगढ़

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आरटीए 1955

उपस्थित :—

1. श्री कुलविन्द्रसिंह एडवोकेट — प्रार्थीगण
2. श्री सुभाष देहडू एडवोकेट — अप्रार्थी नं. 1 व 2
3. पैरोकार राज नायब तहसीलदार नं. 3

—:: निर्णय ::— **दिनांक :— 28.6.24**

प्रार्थी ने 251 (क) आर.टी.ए. प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन किया कि प्रार्थी नं. 1 के नाम वाके चक 3 एफ.डी.एम. की जमाबन्दी सम्वत् 2073 ता 76 के खाता संख्या 32/23 के पत्थर नं. 91/341 (17) के किला नं. 1 ता 4/1.012, 5/2 में 0.228 = 1.240 हैक. कमाण्ड भूमि व प्रार्थी नं. 2 के नाम इसी चक के खाता संख्या 35/23 के पत्थर नं. 91/341 (17) के किला नं. 16/2 में 0.228, 17 ता 20/1.012 = 1.240 हैक. कमाण्ड भूमि खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। अप्रार्थी नं. 1 के नाम वाके चक 3 एफ.डी.एम. की जमाबन्दी सम्वत् 2073 ता 76 के खाता संख्या 19/23 के पत्थर नं. 91/341 (17) के किला नं. 11 ता 14/1.012, 15/2 में 0.228 = 1.240 हैक. कमाण्ड भूमि व अप्रार्थी नं. 2 के नाम इसी चक के खाता संख्या 25/23 के पत्थर नं. 91/341 (17) के किला नं. 6/2 में 0.228, 7 ता 10/1.012 = 1.240 हैक. [illegible] दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थी नं. 1 के नाम चक 3 एफ.डी.एम. के पत्थर नं. 91/341 (17) के किला नं. 22/0.196 हैक. (पूर्वी पासा), 23/0.114 हैक. (पश्चिमी पासा) = 0.310 हैक. कमाण्ड भूमि व प्रार्थी नं. 2 के नाम चक 3 एफ.डी.एम. के पत्थर नं. 91/341 (17) के किला नं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.28 12:31:46 IST
Reason: SelfAttested

लगातार पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

21/0.253 हैक., 22/0.057 हैक. = 0.310 हैक. कमाण्ड भूमि व अप्रार्थी नं. 1 के नाम चक 3 एफ.डी.एम. के पत्थर नं. 91/341 (17) के किला नं. 24/0.082 हैक. (पूर्वी पासा), 25/2 में 0.228 हैक. = 0.310 हैक. कमाण्ड भूमि व अप्रार्थी नं. 2 के नाम चक 3 एफ.डी.एम. के पत्थर नं. 91/341 (17) के किला नं. 23/0.139 हैक. (पूर्वी पासा), 24/0.171 हैक. (पश्चिमी पासा) = 0.310 हैक. कमाण्ड भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थीगण को अपने रकबा में आने जाने के लिये पत्थर नं. 91/341 (17) के किला नं. 2, 9, 12, 19 में 1.5–1.5 बिस्वा रकबा उतर से दक्षिण लम्बाई में पूर्वी पासा में से किला नं. 22,. 23, 24 में 1.5, 1.5 बिस्वा उतरी पासा में पश्चिम से पूर्व लम्बाई में चालू रास्ता अर्सा दराज से है। तथा प्रार्थीगण इस चालू रास्ता को मंजूर करवाना चाहते है। प्रार्थीगण को इस रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता नही लगता है। प्रार्थीगण इसी रास्ता से जाकर अपने खेत को काश्त करते है। इसी रास्ता से प्रार्थीगण अपनी फसली उपज को घर लेकर आते है। इसी रास्ते से प्रार्थीगण मवेशियो के लिये हरा–चारा अपने घर लेकर आते है। यह रास्ता मंजूर हो जाता है तो प्रार्थीगण को अपने खेत मे आने जाने की समस्या खत्म हो जावेगे। पत्थर नं. 91/341 (17) को किला नं. 2 प्रार्थी नं. 1 के नाम व किला नं. 9 प्रार्थी नं. 2 के नाम व किला नं. 12 अप्रार्थी नं. 1 के नाम व किला नं. 19 अप्रार्थी नं. 2 के नाम दर्ज है। इस भूमि में रास्ता मन्जूर होने पर किसी भी पक्षकार को रास्ते के बदले भूमि नही देनी पड़ेगी व किला नं. 22, 23, 24 में 1.5, 1.5 बिस्वा उतरी पासा में पश्चिम से पूर्व लम्बाई में रास्ता मंजूर करने में प्रार्थीगण की भूमि कम होगी जिसके बदले में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी नं. 1 व 2 की भूमि बराबर करने के लिए एक दूसरे पक्षकार चिपती भूमि देने के लिये तैयार है। इस रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के खातेदारी रकबा में जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नही है। प्रार्थीगण को इस रास्तें की अत्यन्त आवश्यकता है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर तहसीलदार सूरतगढ़ से रास्ता बाबत जबाब स्टेट लिया गया, अप्रार्थी नं. 1 व 2 ने प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में से रास्ता मन्जूर करने पर सहमति प्रदान की गई। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उक्त रकबा हेतु नही है। इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 251 (क) हम स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.28 12:31:46 IST
Reason: Self Attested

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 3 एफ.डी.एम. के पत्थर नं. 91/341 (17) के किला नं. 2, 9, 12, 19 में 1.5–1.5 बिस्वा रकबा पूर्वी पासा उतर से दक्षिण लम्बाई में एवं किला नं. 22,. 23, 24 में 1.5,

लगातार पेज 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

1.5 बिस्वा उतरी पासा में पश्चिम से पूर्व लम्बाई में गै.मु.रास्ता स्वीकृत किया जाता है। गै.मु.रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है तथा स्वीकृत शुदा रास्ता की एवज में प्रार्थी नं. 2 के नाम खातेदारी भूमि चक 3 एफ.डी. एम. के पत्थर नं. 91/341 (17) में 0.310 हैक. भूमि में से किला नं. 22 में 0.011 हैक. भूमि उतर से दक्षिण लम्बाई में पूर्वी पासा में से कलमजन कर प्रार्थी नं. 1 के नाम व अप्रार्थी नं. 1 के नाम 91/341 (17) में 0.310 हैक. में से किला नं. 24 में 0.011 हैक. भूमि उतर से दक्षिण लम्बाई में पश्चिमी पासा में से कलमजन कर अप्रार्थी नं. 2 के नाम (इस प्रकार इन किला नं. 22, 23, 24 रास्ता की 3.5 बिस्वा भूमि काट कर प्रार्थी नं. 1 के नाम 0.299 हैक. व प्रार्थी नं. 2 के नाम 0.299 हैक. व अप्रार्थी नं. 1 के नाम 0.299 हैक. व अप्रार्थी नं. 2 के नाम 0.299 हैक.) राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। रहन का नोट यथावत् रहेगा। तहसीलदार को तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। हुक्म सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक जिलाधीश,
सूरतगढ़।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.28 12:31:46 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक जिलाधीश, सूरतगढ़।

क्रमांक : राजस्व/165/2024/5942 दिनांक :– 27.06.2024

तहसीलदार राजस्व,

सूरतगढ़।

विषय :– प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 (क) आर.टी.ए. प्रकरण संख्या/165/2024 निर्णय दिनांक 26.6.24 प्रार्थीगण मिलखराज, राधाकिशन पुत्रगण बालीराम जाति कम्बोज निवासी 3 एफ.डी.एम. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर की पालना में राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतू।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

प्रार्थीगण मिलखराज, राधाकिशन पुत्रगण बालीराम जाति कम्बोज निवासी 3 एफ.डी.एम. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर को अपने खातेदारी रकबा आने जाने हेतु चक 3 एफ.डी.एम. के पत्थर नं. 91/341 (17) के किला नं. 2, 9, 12, 19 में 1.5–1.5 बिस्वा रकबा पूर्वी पासा में उतर से दक्षिण लम्बाई में एवं किला नं. 22,. 23, 24 में 1.5, 1.5 बिस्वा उतरी पासा में पश्चिम से पूर्व लम्बाई में गै.मु.रास्ता स्वीकृत किया जाता है। गै.मु.रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है तथा स्वीकृत शुदा रास्ता की एवज में प्रार्थी नं. 2 के नाम खातेदारी भूमि चक 3 एफ.डी.एम. के पत्थर नं. 91/341 (17) में 0.310 हैक. भूमि में से किला नं. 22 में 0.011 हैक. भूमि उतर से दक्षिण लम्बाई में पूर्वी पासा में से कलमजन कर प्रार्थी नं. 1 के नाम व अप्रार्थी नं. 1 के नाम 91/341 (17) में 0.310 हैक. में से किला नं. 24 में 0.011 हैक. भूमि उतर से दक्षिण लम्बाई में पश्चिमी पासा में से कलमजन कर अप्रार्थी नं. 2 के नाम (इस प्रकार इन किला नं. 22, 23, 24 रास्ता की 3.5 बिस्वा भूमि काट कर प्रार्थी नं. 1 के नाम 0.299 हैक. व प्रार्थी नं. 2 के नाम 0.299 हैक. व अप्रार्थी नं. 1 के नाम 0.299 हैक. व अप्रार्थी नं. 2 के नाम 0.299 हैक.) के नाम दर्ज करने का आदेश दिया जाता है अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर पालना रिर्पोट पेश करे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.28 12:31:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक जिलाधीश,
सूरतगढ़।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)